

(1)
विद्युत सुरक्षा निदेशालय
कार्य पूरक प्रमाण-पत्र

(राज्य सरकार के अनुज्ञाप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा।)

उपभोक्ता / स्वामी का नाम कुलगांडेरी

पिता / पति का नाम डॉ. संहार लिंग

पता

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली

(1) वोल्टता ५५५

(2) कलाओं (फेरी) की संख्या

(3) एस०सी० / डी०सी०

वायरिंग का प्रयोजन -

वायरिंग का प्रकार (बटन कन्डयूट इत्यादि)

संस्थापन की विशिष्टियाँ

मार्ग → डाक्कापुर डाक्का पर्सेप्रेस

	220/230 कुल वोल्टस						400/440 वोल्टस		उच्च/अतिउच्च वोल्टस संस्थापन	
	फेज 1		फेज 2		फेज 3		वोल्टस		वोल्टस संस्थापन	
	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता
I-	(1) बत्तियों के प्वाइन्ट (2) पंखों के प्वाइन्ट (3) प्लस प्वाइंट (4) मोटरें जनरेटर्स (पूरा ब्यौरा दिया जाये)									

- I- (1) बत्तियों के प्वाइन्ट
(2) पंखों के प्वाइन्ट
(3) प्लस प्वाइंट
(4) मोटरें जनरेटर्स
(पूरा ब्यौरा दिया जाये)

योग

२.५ M.R.

- II- अन्य उपकरण (पूरा ब्यौरा दिया जाये)

- (1)
(2)

कुल संयोजित भार किलोवाट में

अधिकतम संयोजित भार किलोवाट में

कुल संयोजित भार के आधार पर

विद्युत का रिसाव विद्युतरोधी कम से कम एक मेगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

ठेकेदार द्वारा विद्युतरोधों के परीक्षण का परिणाम

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 2 व अर्थ

फेज- 3 व अर्थ

(i) फेज एवं अर्थ के बीच -

फेज- 1 व 2

फेज- 2 व 3

फेज- 3 व 1

(ii) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच -

(iii) तारों के मध्य -

नियम 29 :-

- (i) बतायें की वायरिंग का कार्य प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार सहिता के अनुसार हैं।
- (ii) बतायें की प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियन्त्रित है।
- (iii) बतायें की समस्त स्विच विद्युतमय (जीवन्त) चालकों पर लगाये गये हैं।

नियम 32 :-

बातयें की दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूकम्पित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति सूचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक को विद्युतमय (जीवन्त) चालक से सुधिन किया जा सके।

(सत्यापन प्रमाण-पत्र)

मैं/हम दीपक कुमार लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार लाइसेन्स संख्या B.N.R. 140

निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं:-

- (अ) कि पूर्विकत विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- (ब) पूर्विकत अंकित संस्थापन का विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है। एवं उनका परीक्षण मेरे/मेरे सुपर वाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
- (स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार सहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।
- (द) उपरोक्त कार्य मेरे / हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है।

सुपरवाइजर का नाम: ओबराय सिंह परमिट सं० 17030 वैद्यता तिथि 22-10-2024
वायर मैन का नाम करन सिंह परमिट सं० 51071 वैद्यता की तिथि 14.04.2027

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(3)

ठेकेदार का नाम दीपक कुमार
 लाइसेन्स संख्या - B.N.R. 140
 लाइसेन्स श्रेणी A - Class

वैदाता का दिनांक 31/03/2024

दीपक कुमार

ठेकेदार के हस्ताक्षर

Champur Colony
 No. 140 A Class

घोषणा

(उपभोक्ता द्वारा की जाये)

मैं घोषणा करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सों द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तें एवं
 भारतीय विद्युत नियम 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रदर्शित किया गया है। नुस्खा पर्याप्त की
 अधिकतम क्षमता/..... एम्पीयर से अधिक है/नहीं तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोतारी तथा
 ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा अपुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

दिनांक..... 1 दिसंबर 2023

✓ उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

कुमार

परीक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युतरोधों के परीक्षण का परिणाम

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 2 व अर्थ

फेज- 3 व अर्थ

(i) फेज एवं अर्थ के बीच -

फेज- 1 व 2

फेज- 2 व 3

फेज- 3 व 1

(ii) तारों के मध्य -

विद्युत संस्थापन में पाई गई कमियां (यदि कोई हो) कमियों को दूर करने हेतु कार्यवाही।

1-

2-

3-

4-

दिनांक.....

प्रदाय कर्ता (सप्लायर के निरीक्षण कर्ता)
 का नाम एवं हस्ताक्षर
 पदनाम

(विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक)

निरीक्षण परिणाम

(विवरण संलग्न किया जाये)

निरीक्षण तिथि.....

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और
 पदनाम